

सं-ए-12019/1/2015-स्था.दो/396-410

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

कमरा न0 305, सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
दिनांक: 21-8-2017

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित उपनिदेशकों/अधिकासी अभियंताओं को निम्नानुसार छुट्टी स्वीकृत की जाती है :

क.सं	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	कार्यालय जहां कार्यरत है	छुट्टी का प्रकार	छुट्टी की अवधि		कुल दिन	बकाया छुट्टी
				से	तक		
1.	2-	3-	4.	5.	6.	7.	8.
1	Amrish Pal Singh	HCD (E&NE)	अर्जित अवकाश	19-6-17	23-6-17	5	104
			अर्जित अवकाश	4-7-17	6-7-17	3	
2	Alok Pal Kalsi	RS Dte.	अर्जित अवकाश	5-6-17	9-6-17	5	83
3	Anil Kumar Mittal	WM Dte.	परिणत अवकाश	24-4-17	5-5-17	12	110 COL 186
			अर्जित अवकाश	7-4-17	--	1	
			परिणत अवकाश	22-5-17	2-6-17	12	
			अर्जित अवकाश	15-5-17	17-5-17	3	
			अर्जित अवकाश	8-6-17	--	1	
			अर्जित अवकाश	12-6-17	--	1	
			अर्जित अवकाश	14-6-17	15-6-17	2	
			अर्जित अवकाश	28-6-17	30-6-17	3	
4	Jyotika Pegu	Brahmaputra Board	अर्जित अवकाश	17-5-17	18-5-17	2	165
5	M Swaroopa Rani	Mon. Dte Nagpur	अर्जित अवकाश	17-7-17	21-7-17	5	170
6	N Periasamy	PA(S)	अर्जित अवकाश	8-6-17	9-6-17	2	300+9 COL 581
			परिणत अवकाश	10-6-17	23-6-17	14	
7	Rajesh Gupta	CMDD (N&W)	अर्जित अवकाश	10-7-17	--	1	300+9
			अर्जित अवकाश	22-6-17	-	1	
			अर्जित अवकाश	18-7-17	21-7-17	4	
8	Rajender Kumar Mishra	Mon (N)	अर्जित अवकाश	10-7-17	14-7-17	5	300+10
9	Rakesh Gaurana	N&BC	अर्जित अवकाश	19-6-17	23-6-17	5	300+9
10	Ramavtar Verma	NEIC Shillong	अर्जित अवकाश	19-6-17	24-6-17	6	23
			अर्जित अवकाश	23-4-15	--	1	
			अर्जित अवकाश	11-5-17	--	1	
11	Shiv Sunder Singh	Coastal Eroision	अर्जित अवकाश	6-7-17	7-7-17	2	160
			अर्जित अवकाश	19-6-17	--	1	
			अर्जित अवकाश	12-6-17	--	1	
12	Uma. B	Mon (S)	अर्जित अवकाश	31-5-17	2-6-17	3	102

प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त अवकाश पर नहीं जाते तो उपनिदेशक/अधिकासी अभियंता के पद पर बने रहते। छुट्टी के उपभोग के बाद उन्होंने उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

(आर के शर्मा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, के0ज0आ0, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी लेखा तीन अनुभाग के0ज0आ0, नई दिल्ली।
3. श्रीमति नूतन राय, सहायक अनुभाग अधिकारी, के.ज.आ की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी।